उपायुक्त का कार्यालय (जिला आपूर्ति शाखा) गिरिडीह।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सरकार के अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 4806/दिनांक 25.11.2016 के द्वारा मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अन्तर्गत संचालित सरकारी भूमि पर अवस्थित दाल–भात केन्द्रों को आदर्श केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु निदेश प्राप्त है। दाल–भात केन्द्रों में शहरी क्षेत्र के 04 केन्द्रो में थाली स्टील का, गिलास स्टील का, पानी ड्रम 200 लीटर का, डेग, ढक्कन, स्टील जग बडा, छोटा ड्रम, टेबल (प्लास्टिक का), कुर्सी (प्लास्टिक का), सागदान, बाल्टी बडा (प्लास्टिक का), हॉर्डिंग तथा प्रखण्डों में संचालित 09 मुख्यमंत्री दाल भात केन्द्रों हेतु थाली स्टील का, गिलास स्टील का, पानी ड्रम 200 लीटर, डेग, ढक्कन, स्टील जग बडा, छोटा ड्रम, टेबल (प्लास्टिक का), कुर्सी (प्लास्टिक का), सागदान, बाल्टी बडा (प्लास्टिक का), हॉर्डिंग की आपूर्ति की जानी है। इस हेतु इच्छुक व्यापारियों से दिनांक 16.2.17 के अपराह्न 01:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला आपूर्ति कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स में रखी जाएगी। निविदा के साथ निम्नांकित कागजात का होना आवश्यक है:–

1. निविदादाता के द्वारा अद्यतन आयकर विवरणी एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ **50000.00 (पचास हजार)** रू0 का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के नाम से भुगतेय होगा।
3. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो मुहरबंद लाह द्वारा सील लिफाफा में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा की शर्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
4. निविदादाता को आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता यदि पूर्व से सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त सामग्री आपूर्ति से संबंधित कार्य किये हों तो अपने निविदा पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं।
6. चयनित आपूर्तिकर्त्ता को चयनित नमूना के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
7. विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध होने पर ही विपत्र का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
8. दाल–भात केन्द्रो की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है साथही मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों के सफल संचालन हेतु आवश्यकतानुसार सामग्रियों के क्रय का निर्णय लेने एवं निविदा को रद्द करने का अधिकार निविदा समिति को होगी।
9. निविदादाता के काली सूची में नहीं रहने से संबंधित शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दिनांक 16.2.17 को 03:00 बजे अपराह्न में निविदादाता के समक्ष उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी।
11. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
12. गिरिडीह जिला के निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
13. टेंडर के समय सामग्रियों का नमूना दर के साथ निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

08/02/17

उपायुक्त, गिरिडीह।

D:\TENDER FILES\Dal Bhat\Dal Bhat.docx